स्पीड पोस्ट / शीर्ष प्राथमिकता ।

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,उ0प्र0,
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 4059/4–13एफ/98, दिनांक 20 अगस्त, 2014

विषयः उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अस्थाई और स्थानापन्न नियुक्तियों के संबंध में उपबन्धों का विखण्डन) नियमावली 1991 के प्रभावी होने के उपरान्त विभिन्न संवर्गों में स्थानापन्न/अस्थाई नियुक्ति/पदोन्नति संबंधी उपबन्धों के निष्प्रभावी होने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या 380/3–त0ना0त0–48/98,दिनांक 16–3–1998, परिषदादेश संख्या 2756/4–13एफ/98, दिनांक 02–5–1998,संख्या 2718/4–13एफ/98,दिनांक 21–4–2001,संख्या 5190/4–13एफ/98, दिनांक 30–6–2001, संख्या 7908/4–13एफ/98 , दिनांक 28–8–2001, संख्या 11875/4–13एफ/98, दिनांक 22 नवम्बर 2001 व संख्या 3104/4–13एफ/98 दिनांक 30 मार्च 2007 का कपया संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में मुझे पुनः यह अवगत कराना है कि विखण्डन नियमावली 1991 लागू होने के पश्चात अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये भविष्य में ऐसी नियुक्तियों न करने के निर्देश समय समय पर परिषद द्वारा दिये गये हैं, किन्तु परिषद के संज्ञान में यह तथ्य आ रहे है कि जनपदों में राजस्व अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ लेखपालों को स्थानीय व्यवस्था में राजस्व निरीक्षक के पदों पर अस्थायी/स्थानापन्न/प्रभारी राजस्व निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है, जो उचित स्थिति नहीं है। फिर भी विखण्डन नियमावली 1991, के विपरीत राजस्व निरीक्षक के पदों पर कनिष्ठ एवं अप्रशिक्षित लेखपाल को प्रोन्नति दे दी जाती है जिसके कारण सम्बंधित लेखपाल मा0 उच्च न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत करके अन्तरिम आदेशों के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक के पदों पर कार्य कर वेतन प्राप्त कर रहें है। जनपद स्तर से ऐसी याचिकाओं में समय के अन्दर प्रतिशपथ पत्र एवं अन्तरिम आदेशों को अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भी नहीं दाखिल किये जा रहे है और न ही याचिकाओ की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। ऐसा नही किये जाने के कारण शासन/परिषद/प्रशासन की स्थिति मा0 न्यायालय के समक्ष असमंजस पूर्ण हो जाती है और अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

ऐसा देखा जा रहा है कि प्रायः लम्बित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ दाखिल नही होने के कारण शासन के विपरीत आदेश पारित हो जाते हैं। अतएव लम्बित रिट याचिकाओं में भी समयबद्व रूप से प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार का पक्ष सशक्त रूप में रखकर मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराना सुनिश्चित करायें। यदि प्रश्नगत याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के विरूद्व प्रतिशपथ पत्र के अभाव में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये जाते है तो उसके लिये जिला प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जायेगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि विखण्डन नियमावली लागू होने की तिथि से की गयी अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये भविष्य में इस तरह की नियुक्तियों/पदोन्नति न की जाये। यदि परिषद के संज्ञान में यह तथ्य आते हैं कि विखण्डन नियमावली 991 के प्राविधानों के विपरीत अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियॉ की गयी है तो उसके लिये संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें और शासन को होने वाली वित्तीय हानि की वसूली संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के वेतन से की जायेगी।

भवदीय,

(ओ0 पी0 आर्य)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त के संबंध में अपने स्तर से भी अपने मण्डलीय जनपदो के जिलाधिकारियों को तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करते हुये प्रति परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

(ओ0 पी0 आर्य)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कते आयुक्त एवं सचिव।